

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-38/2018/ एस-2-1527/दस-2018-88क(13)/2017टी0सी0

लखनऊ :: दिनांक:: 03 जुलाई,2018

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त 30प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहाँ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री राम प्रकाश पाल, अपर निदेशक, (वित्त), न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 30प्र0 लखनऊ।	वरिष्ठ वित्त सलाहकार, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, 30प्र0 लखनऊ।
2	श्रीमती सुनीता आदित्य, वरिष्ठ वित्त सलाहकार, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, 30प्र0 लखनऊ।	अपर निदेशक, (वित्त), न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 30प्र0 लखनऊ।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी, अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अजय कुमार शुक्ला  
सचिव।

संख्या-38/2018/एस-2-1527(1)/दस-2018-88क(13)/2017टी0सी0.तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/महिला कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 30प्र0 लखनऊ।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 5- मुख्य, कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- संबंधित अधिकारीगण ।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( हरिश्चन्द्र )  
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।